रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 427] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 7, 1993/अग्रहायण 16, 1915
No. 427] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 7, 1993 AGRAHAYANA 16, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1993

स. 99/93-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा का.नि 735(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1985 का 5) की अनुसूची के उपशीर्ष स 2701 0 के अन्तर्गत आने वाले ढाले श्रेणी कोक का जिसमे फास्फोरस अन्तर्वस्तु 0.2 प्रतिशत और उससे अधिक है और जिसका उत्पादन मुख्य ईधन के रूप मे कोक का प्रयोग करने वाले (किसी समाकलित इस्पात संयत्र से भिन्न) एकक द्वारा किया जाता है, उक्त अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1996 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[फा.सं. बी 24/1/93-टी.आर.यू.]

सुशील सोलंकी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 1993

NO. 99/93-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 735(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts foundry grade pig iron, falling under sub-heading No. 7201.00 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), with a phosphorous content of 0.2% and above and produced by a unit (other than an integrated steel plant) using coke as the principal fuel, from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said schedule.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1996.

[F. No. B-24/1/93-TRU]

SUSHIL SOLANKI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publication, Delhi-110054, 1993.